कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड,देहरादून।

पत्र संख्याः– 3प/पैरा/एक्स–रे/02/2025/ दिनांकः 10जून, 2025

–:आदेशः–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतकर्ता विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः–282747/XXX(2)/2025–E–20917 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्याः–1/9289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित एक्स–रे टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री संजय श्रीवास्तव	एक्स–रे टैक्नीशियन	उप जिला चिकि0 प्रेमनगर, देहरादून।	सामु0स्वा0केन्द्र सहिया देहरादून।	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा–24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाले पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्याः– 3प/पैरा/एक्स–रे/02/2025/16273 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय प्रेमनगर, देहरादून।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक(पैरामेडिकल)

कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड,देहरादून।

पत्र संख्याः– 3प/पैरा/एक्स–रे/02/2025/ दिनांकः 10 जून, 2025

–:आदेशः–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतकर्ता विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः–282747/XXX(2)/2025–E–20917 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्याः–1/9289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित एक्स–रे टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री प्रवीन अग्रवाल	एक्स–रे टैक्नीशियन	सामु0स्वा0केन्द्र रायपुर, देहरादून।	उप जिला चिकि0 कर्णप्रयाग, चमोली।	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा–24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाले पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्याः– 3प/पैरा/एक्स–रे/02/2025/16279 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/चमोली ।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/चमोली ।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 कर्णप्रयाग, चमोली।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक(पैरामेडिकल)

कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड,देहरादून।

पत्र संख्याः– 3प/पैरा/एक्स–रे/02/2025/ दिनांकः 10 जून, 2025

–:आदेशः–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतकर्ता विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः–282747/XXX(2)/2025–E–20917 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्याः–1/9289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित एक्स–रे टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सुधीर कुमार	एक्स–रे टैक्नीशियन	सामु0स्वा0केन्द्र, लक्सर हरिद्वार	प्रा0स्वा0केन्द्र, त्यूणी, देहरादून	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा–24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाले पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्याः– 3प/पैरा/एक्स–रे/02/2025/16275 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतश प्रेषितः–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
4. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक(पैरामेडिकल)

कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड,देहरादून।

पत्र संख्याः– 3प/पैरा/एक्स–रे/02/2025/ दिनांकः 10 जून, 2025

–:आदेशः–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतकर्ता विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः–282747/XXX(2)/2025–E–20917 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासन्नादेश संख्याः–1/9289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित एक्स–रे टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री संतोषपति त्रिपाठी	एक्स–रे टैक्नीशियन	सामु0स्वा0केन्द्र गदरपुर, उधम सिंह नगर।	सामु0स्वा0केन्द्र, मुनस्यारी, पिथौरागढ़।	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा–24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाले पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्याः– 3प/पैरा/एक्स–रे/02/2025/16285 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधम सिंह नगर/पिथौरागढ़।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधम सिंह नगर/पिथौरागढ़।
4. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक(पैरामेडिकल)

कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड,देहरादून।

पत्र संख्याः– 3प/पैरा/एक्स–रे/02/2025/ दिनांकः 10 जून, 2025

–:आदेशः–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतकर्ता विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः–282747/XXX(2)/2025–E–20917 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्याः–1/9289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित एक्स–रे टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री रजनीश श्रीवास्तव	एक्स–रे टैक्नीशियन	सामु0स्वा0केन्द्र, भवाली, नैनीताल।	जिला चिकित्सालय, बागेश्वर।	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा–24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाले पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्याः– 3प/पैरा/एक्स–रे/02/2025/16283 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
4. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बागेश्वर।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक(पैरामेडिकल)

कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड,देहरादून।

पत्र संख्याः– 3प/पैरा/एक्स–रे/02/2025/ दिनांकः 10 जून, 2025

–:आदेशः–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतकर्ता विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः–282747/XXX(2)/2025–E–20917 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्याः–1/9289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित एक्स–रे टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री मनोज कुमार	एक्स–रे टैक्नीशियन	उप जिला चिकित्सालय, मसूरी, देहरादून।	सामु0स्वा0केन्द्र लक्सर हरिद्वार।	निजी अनुरोध

1. सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा–24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्याः– 3प/पैरा/एक्स–रे/02/2025/16301 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, मसूरी, देहरादून।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक(पैरामेडिकल)

कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड,देहरादून।

पत्र संख्याः– 3प/पैरा/एक्स–रे/02/2025/ दिनांकः 10 जून, 2025

–:आदेशः–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतकर्ता विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः–282747/XXX(2)/2025–E–20917 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्याः–1/9289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित एक्स–रे टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री ओम शिव भेदी	एक्स–रे टैक्नीशियन	जिला चिकि0 हरिद्वार।	सामु0स्वा0केन्द्र सतपुली, पौड़ी।	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा–24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाले पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्याः– 3प/पैरा/एक्स–रे/02/2025/16277 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी। ।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
4. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 हरिद्वार।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक(पैरामेडिकल)

कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड,देहरादून।

पत्र संख्याः– 3प/पैरा/एक्स–रे/02/2025/ दिनांकः 10 जून, 2025

–:आदेशः–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतकर्ता विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः–282747/XXX(2)/2025–E–20917 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्याः–1/9289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित एक्स–रे टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री अवधेश सिंह	एक्स–रे टैक्नीशियन	सामु0स्वा0केन्द्र कर्णप्रयाग, चमोली।	सामु0स्वा0केन्द्र, रायपुर, देहरादून।	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की व्यवस्था होने के उपरान्त कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा–24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाले पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्याः– 3प/पैरा/एक्स–रे/02/2025/ 16271 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/चमोली ।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/ चमोली ।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 कर्णप्रयाग, चमोली।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक(पैरामेडिकल)

कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड,देहरादून।

पत्र संख्याः– 3प/पैरा/एक्स–रे/02/2025/

दिनांकः 10 जून, 2025

–:आदेशः–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतकर्ता विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः–282747/XXX(2)/2025–E–20917 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्याः–1/9289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित एक्स–रे टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री हिमांशु वर्मा/दुबे	एक्स–रे टैक्नीशियन	जिला चिकित्सालय, बागेश्वर।	सामु0स्वा0केन्द्र, भवाली, नैनीताल।	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को प्रतिस्थानी की व्यवस्था होने के उपरान्त कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा–24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाले पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्याः– 3प/पैरा/एक्स–रे/02/2025/16269 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
4. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बागेश्वर।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक(पैरामेडिकल)

कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड,देहरादून।

पत्र संख्याः– 3प/पैरा/एक्स–रे/02/2025/

दिनांकः 10 जून, 2025

–:आदेशः–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतकर्ता विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः–282747/XXX(2)/2025–E–20917 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्याः–1/9289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित एक्स–रे टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री संतोष कुमार द्विवेदी	एक्स–रे टैक्नीशियन	सामु0स्वा0केन्द्र, थैलीसैंण, पौड़ी गढ़वाल।	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल (सामु0स्वा0केन्द्र, मालधनचौड़, नैनीताल)	निजी अनुरोध

1. सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा–24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्याः– 3प/पैरा/एक्स–रे/02/2025/16281 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/नैनीताल।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/नैनीताल।
4. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक(पैरामेडिकल)

कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड,देहरादून।

पत्र संख्याः– 3प/पैरा/एक्स–रे/02/2025/ दिनांकः 16 जून, 2025

–:आदेशः–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतकर्ता विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः–282747/XXX(2)/2025–E–20917 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्याः–1/9289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित एक्स–रे टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री योगेन्द्र त्रिवेदी	एक्स–रे टैक्नीशियन	उप जिला चिकित्सालय, खटीमा, उधम सिंह नगर।	उप जिला चिकित्सालय, धारचूला, पिथौरागढ़।	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा–24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाले पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्याः– 3प/पैरा/एक्स–रे/02/2025/ 16267 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधम सिंह नगर/पिथौरागढ।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधम सिंह नगर/पिथौरागढ।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, खटीमा, उधम सिंह नगर।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, धारचूला, पिथौरागढ़।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक(पैरामेडिकल)

कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड,देहरादून।

पत्र संख्याः– 3प/पैरा/एक्स–रे/02/2025/ दिनांकः 10 जून, 2025

–:आदेशः–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतकर्ता विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः–282747/XXX(2)/2025–E–20917 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्याः–1/9289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित एक्स–रे टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री शोएब अहमद	एक्स–रे टैक्नीशियन	प्रा0स्वा0केन्द्र, त्यूणी, देहरादून।	उप जिला चिकि0 प्रेमनगर, देहरादून	निजी अनुरोध

1. सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा–24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्याः– 3प/पैरा/एक्स–रे/02/2025/16287 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय प्रेमनगर, देहरादून।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक(पैरामेडिकल)

कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड,देहरादून।

पत्र संख्याः– 3प/पैरा/एक्स–रे/02/2025/ दिनांकः 10 जून, 2025

–:आदेशः–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतकर्ता विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः–282747/XXX(2)/2025–E–20917 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्याः–1/9289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित एक्स–रे टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती सुरभि लखेड़ा	एक्स–रे टैक्नीशियन	जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग।	उप जिला चिकित्सालय, मसूरी, देहरादून।	निजी अनुरोध

1. सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में, अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा–24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्याः– 3प/पैरा/एक्स–रे/02/2025/16291 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग/देहरादून।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग/देहरादून।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, मसूरी, देहरादून।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक(पैरामेडिकल)

कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड,देहरादून।

पत्र संख्याः– 3प/पैरा/एक्स–रे/02/2025/ दिनांकः 10 जून, 2025

–:आदेशः–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतकर्ता विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः–282747/XXX(2)/2025–E–20917 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्याः–1/9289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित एक्स–रे टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सचिन कुमार	एक्स–रे टैक्नीशियन	सामु0स्वा0केन्द्र, सतपुली, पौड़ी गढ़वाल।	जिला चिकित्सालय, हरिद्वार।	निजी अनुरोध

1. सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा–24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्याः– 3प/पैरा/एक्स–रे/02/2025/16293 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/हरिद्वार।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/हरिद्वार।
4. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, हरिद्वार।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक(पैरामेडिकल)

कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड,देहरादून।

पत्र संख्याः– 3प/पैरा/एक्स–रे/02/2025/ दिनांकः 10 जून, 2025

–:आदेशः–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतकर्ता विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः–282747/XXX(2)/2025–E–20917 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्याः–1/9289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित एक्स–रे टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री दीपक कुमार परागई	एक्स–रे टैक्नीशियन	सामु0स्वा0केन्द्र, मुनस्यारी, पिथौरागढ़।	सामु0स्वा0केन्द्र गदरपुर, उधम सिंह नगर।	निजी अनुरोध

1. सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा–24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्याः– 3प/पैरा/एक्स–रे/02/2025/16295 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधम सिंह नगर/पिथौरागढ।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधम सिंह नगर/पिथौरागढ।
4. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक(पैरामेडिकल)

कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड,देहरादून।

पत्र संख्याः– 3प/पैरा/एक्स–रे/02/2025/ दिनांकः 10 जून, 2025

–:आदेशः–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतकर्ता विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः–282747/XXX(2)/2025–E–20917 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्याः–1/9289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित एक्स–रे टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री धर्मेन्द्र	एक्स–रे टैक्नीशियन	सामु0स्वा0केन्द्र, सहिया देहरादून।	जिला चिकित्सालय, पौड़ी गढ़वाल।	निजी अनुरोध

1. सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा–24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्याः– 3प/पैरा/एक्स–रे/02/2025/16299 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
4. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पौड़ी गढ़वाल।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक(पैरामेडिकल)

कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड,देहरादून।

पत्र संख्याः– 3प/पैरा/एक्स–रे/02/2025/ दिनांकः 10 जून, 2025

–:आदेशः–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतकर्ता विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः–282747/XXX(2)/2025–E–20917 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्याः–1/9289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित एक्स–रे टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री एजाज अहमद	एक्स–रे टैक्नीशियन	सामु0स्वा0केन्द्र, पोखरी, चमोली।	जिला चिकित्सालय, गोपेश्वर, चमोली।	निजी अनुरोध

1. सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की व्यवस्था होने के उपरान्त कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा–24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्याः– 3प/पैरा/एक्स–रे/02/2025/16297 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली।
4. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गोपेश्वर, चमोली।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक(पैरामेडिकल)

कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड,देहरादून।

पत्र संख्याः– 3प/पैरा/एक्स–रे/02/2025/ दिनांकः 10 जून, 2025

–:आदेशः–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतकर्ता विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः–282747/XXX(2)/2025–E–20917 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्याः–1/9289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित एक्स–रे टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री नरेन्द्र सिंह	एक्स–रे टैक्नीशियन	उप जिला चिकित्सालय, धारचूला, पिथौरागढ़।	सामु0स्वा0केन्द्र, बाजपुर, उधम सिंह नगर।	निजी अनुरोध

1. सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा–24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्याः– 3प/पैरा/एक्स–रे/02/2025/16289 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधम सिंह नगर/पिथौरागढ।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधम सिंह नगर/पिथौरागढ।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, धारचूला, पिथौरागढ़।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक(पैरामेडिकल)